E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2025; 7(7): 121-123
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 22-05-2025
Accepted: 25-06-2025

डॉ. सपना गहलोत
राजनीति विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

साबरीन फातिमा
राजनीति विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
डॉ. सपना गहलोत
राजनीति विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

पंचायतीराज में महिलाओं की भूमिकाः राजस्थान राज्य के संदर्भ में

सपना गहलोत, साबरीन फातिमा

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i7b.597

सारांश
यह शोध पत्र राजस्थान राज्य के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। पंचायती राज प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जो ग्रामीण स्तर पर जनता को सीधे शासन में भागीदारी प्रदान करती है। भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जिस कारण महिला सशक्तिकरण को बल मिला, विशेषकर जब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया। राजस्थान, पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था और यहाँ महिलाओं की भागीदारी ने प्रशासनिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।
इस शोध में स्पष्ट किया गया है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से न केवल उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है। बल्कि समाज में उनकी सामाजिक पहचान और निर्णय लेने की शक्ति भी सशक्त हुई है। साथ ही यह शोध यह भी दर्शाता है कि सामाजिक रूढ़ियां, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता और पारिवारिक दबाव आज भी उनके पूर्ण सशक्तिकरण में बाधा बने हुए हैं।
यह अध्ययन विभिन्न साहित्यिक स्रोतों सरकारी रिपोर्टों और सामाजिक विश्लेषणों पर आधारित हैं, जो यह दर्शाता हैं कि पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के सामाजिक उत्थान का सशक्त माध्यम बन रही हैं।

मुख्य शब्द : पंचायत राज, महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण, राजस्थान, स्थानीय शासन, लोकतांत्रिक, नेतृत्व, ग्रामीण विकास

प्रस्तावना
भारतीय लोकतंत्र की नींव ग्रामीण शासन पर आधारित हैं। इस प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी न केवल सामाजिक न्याय का प्रतीक है, बल्कि यह समावेशी विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान जो कि भारत के पारम्परिक समाजों में से एक हैं, वहाँ महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से विश्लेषण योग्य हैं।
पंचायत राज प्रणाली की शुरूआत भारत में सर्वप्रथम राजस्थन राज्य से हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थन के नागौर जिले में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह प्रणाली बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित थी, जिसमें लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए त्रि–स्तरीय प्रणाली– ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना की बात कहीं गई थी।
राजस्थान राज्य द्वारा इस व्यवस्था को अपनाने के बाद, अन्य राज्यों ने भी इसे क्रमशः लागू किया।

पंचायती राज और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य
पंचायती राज प्रणाली की नींव भारत में प्राचीन काल से रही है, लेकिन इसे संवैधानिक मान्तया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मिली। इस संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संवैधनिक दर्जा दिया गया जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं।
इस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त था जिसे राजस्थान सरकार ने वर्ष 2010 में 110वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 50 प्रतिशत तक बड़ा दिया। इसका उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाकर उन्हें निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाना था।

राजस्थन में महिलाओं की राजनीतिक भगीदारी

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीति भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वर्ष 2015 से 2020 के आँकड़ों का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक रही हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर जिला परिषद तक, हजारों महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होकर सामने आई हैं। यह न केवल संख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि गुणवत्ता और प्रभाव के दृष्टिकोण से भी अहम हैं।

कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार है

- **नेतृत्व क्षमता:** कई महिला सरपंचों ने अपने कार्यकाल में स्वच्छता, शिक्षा, जलसंरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर सराहनीय कार्य किए हैं।
- **सामाजिक परिवर्तन–** पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने बाल विवाह, भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर प्रभावी नियंत्रण में मदद की हैं।
- **सहभागिता की भावना–** महिलाएँ अब न केवल वोटर के रूप में बल्कि नीति निर्धारण में सक्रिय भागीदारी बन रही हैं।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. **शिक्षा को बढावा:** राजस्थन की कई महिला सरपंचों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी हैं। विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार, छात्रवृत्तियों और ड्रॉपआउट को रोकने की पहल जैसे कार्य किये।
2. **स्वास्थ्य और स्वच्छता:** महिला प्रतिनिधियों ने आँगनवाड़ी केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वच्छता अभियानों और खुले में शौचमुक्त अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई हैं।
3. **आर्थिक सशक्तिकरण:** महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया हैं।
4. **महिला सुरक्षा और अधिकार:** घरेलू हिंसा बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव के मामलों में महिला पंचायत प्रतिनिधिओं ने अपनी भूमिका निभाई हैं। कई बार उन्होंने साहसपूर्वक प्रशासनिक और कानूनी मदद से महिलाओं को न्याय दिलाया।

चुनौतियाँ

1. **प्रौक्सी प्रतिनिधित्व:** कई क्षेत्रों में देखा गया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि केवल नाम मात्र की होती है और उनके स्थान पर निर्णय उनके पति या परिवार के अन्य पुरूष लेते हैं। इस स्थिति को 'सरपंच पति' की समस्या कहा जाता है।
2. **शिक्षा की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकतर महिला प्रतिनिधि औपचारिक शिक्षा से वंचित होती है जिससे उन्हें प्रशासनिक कामकाज समझने और निर्णय लेने में कठिनाई होती हैं।
3. **सामाजिक दबाव और रूढ़िवादिता:** समाज की परम्परागत सोच, पर्दा प्रथा और परिवार की सीमित स्वीकृति महिलाओं को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करने से रोकती हैं।
4. **संसाधनों की कमी:** कई बार महिला प्रतिनिधियों को आवश्यक संसाधन, तकनीकी प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पाता, जिससे वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से नहीं निभा पाती।

केस स्टडी: राजस्थान की महिला सरपंचों की सफलता की कहानियाँ

- **छोटा उदयपुर की सरपंच:** "मीना देवी ने गाँव में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए 100 प्रतिशत नामांकन दर सुनिश्चित की।
- **बांसवाड़ा की शशि बाई:** उन्होंने जल संकट से जुझते गाँव में वर्षा जल संग्रहण और बोरवेल मरम्मत का सफल अभियान चलाया।
- **झुंझुनू जिले की पिंकी कुमारी:** एक प्रशिक्षित महिला प्रतिनिधि जिन्होंने अपने क्षेत्र में डिजिटल ग्राम पंचायत पोर्टल की शुरूआत की जिससे पारदर्शिता बढ़ी।

सरकारी और गैर सरकारी प्रयास

राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग और विभिन्न एन. जी.ओ. मिलकर महिला प्रतिनिधिओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं।

E-Panchayat, महिला सशक्तिकरण योजना और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे माध्यमों से उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा हैं।

साहित्य की समीक्षा

कई विद्वानों और संस्थाओं द्वारा पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका पर गम्भीरता से अध्ययन किया है।

शैक्षणिक एवं शोध ग्रन्थों में चित्रण: राजस्थान में महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी को लेकर डॉ. नीलिमा चौधरी द्वारा लिखित "राजस्थान में महिला नेतृत्व विकास" नामक पुस्तक में बताया गया है कि किस प्रकार आरक्षण के माध्यम से महिलाओं ने अपनी राजस्थान में पहचान बनाई हैं, किन्तु अभी वे कई क्षेत्रों में 'प्रोक्सी' के रूप में कार्य कर रही हैं।

स्त्रीवादी साहित्य में दृष्टिकोण: प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग और उषा प्रियवंदा की कहानियों में ग्रामीण महिला सामाजिक स्थिति परम्परागत भूमिका और निर्णय लेने की सीमाओं को चित्रित किया गया है। यद्यपि ये रचनाएँ सीधे पंचायत से संबंधित नहीं हैं, परन्तु वे ग्रामीण महिला की मानसिकता और चुनौतियों को समझने में सहायता करती हैं।

शोध पत्र और रिपोर्ट: (Participatory Research in Asia) और UN Women द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में यह विश्लेषण किया गया है कि राजस्थान की महिला प्रतिनिधि जिस प्रकार से पंचायतों में निर्णय ले रही है और किन सामाजिक–आर्थिक बाधाओं का सामना कर रही हैं। इन रिपोर्ट्स में यथार्थपरक आंकड़ें और केस स्टडी प्रस्तुत किए गए हैं जो विषय की प्रमाणिकता को बढ़ाते हैं।

साहित्यिक दृष्टिकोण से समालोचना: साहित्य में पंचायत की महिला प्रतिनिधियों पर केन्द्रित रचनाएँ अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण जीवन पर आधारित उपन्यास, जैसे– 'फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आँचल', ग्रामीण प्रशासन, परम्पराओं और महिलाओं की स्थिति की झलक देते हैं। हालांकि यह उपन्यास बिहार पर केन्द्रित हैं, पर राजस्थान जैसे राज्य की परिस्थिति से साम्यता रखता है।

उपरोक्त साहित्य यह स्पष्ट करता है कि पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका पर लेखन बहुआयामी हैं– जहाँ कुछ लेखन नीतिगत और शोध आधारित हैं, वहीं कुछ साहित्यिक कृतियाँ सामाजिक यथार्थ को भावनात्मक और सांस्कृतिक धरातल पर उभारती हैं।

उद्देश्य

शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।

- यह जानना की आरक्षण के बाद महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है।
- पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के वास्तविक प्रभावों का आंकलन करना।
- ग्राम पंचायतों में महिलाओं की समस्याओं और चुनौतियों को समझना।

शोध कार्य प्रणाली

यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों ही प्रकृति का हैं।

डेटा संग्रहण के स्त्रोत

- प्राथमिक स्त्रोतः ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से साक्षात्कार और प्रश्नावली।
- द्वितीयक स्त्रोतः सरकारी रिपोर्ट, शोधपत्र, पुस्तकें, और अखबार से प्राप्त जानकारी।
- क्षेत्रः राजस्थान राज्य के प्रमुख जिले जैसे– जयपुर, अलवर, सीकर और नागौर में स्थित ग्राम पंचायतें।
- नमूना आकारः 50 महिला प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण।
- तकनीकः तुलनात्मक विश्लेषण, प्रतिशत और प्रवृत्ति विश्लेषण।

परिणाम अथवा मुख्य अध्ययन

- अधिकांश महिला सरपंचों ने निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दिखाई।
- शिक्षा प्राप्त महिलाओं को शासन के मुद्दों को अधिक प्रभावी ढ़ंग से उठाया।
- कई मामलों में पुरूष परिजन महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर निर्णय लेते पाए गए (प्रौक्सी प्रतिनिधि)। महिलाओं ने विशेष रूप से जल, स्वच्छता, महिला स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की।
- महिलाओं को अक्सर सामाजिक रूढ़ियों, अशिक्षा और वित्तीय संसाधनों की कमी का सामनाा करना पड़ता है।

सुझाव

- प्रशिक्षण कार्यक्रमः निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व, बजट प्रबंधन और विधिक अधिकारों का प्रशिक्षण दिया जाए।
- प्रौक्सी प्रतिनिधि पर रोकः कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर सख्ती से प्रौक्सी शासन को रोका जाए।
- शिक्षा और डिजिटल साक्षरताः महिलाओं के लिए शिक्षा के साथ डिजिटल उपकरणों का उपयोग सिखाने पर बल दिया जाए।
- मानसिक सशक्तिकरणः समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में समर्थ बनाया जाए।

निष्कर्ष

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को न केवल राजनीतिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि समाज में व्यापक परिवर्तन लाने की नींव रखी हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला अधिकार जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान दिया हैं। हालांकि सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों और प्रौक्सी शासन जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं, लेकिन धीरे–धीरे यह तस्वीर बदल रही हैं। भविष्य में यदि शिक्षा, प्रशिक्षण और सामाजिक समर्थन की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहे तो महिलाएँ पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ बन सकती हैं।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रिपोर्ट (2020–2021)
4. स्थानीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से साक्षात्कार व केस स्टडी।
5. United Nations Women-Women in local Governance Reports.
6. सक्रिय भागीदारी दिखाई
7. चौधरी, नीलिमा (2014) राजस्थान में महिला नेतृत्व का विकास, जयपुरः राजस्थान प्रकाशन।
8. Ministry of Panchayati Raj. (2020), Annual Report, Government of India.
9. PRIA & UN Women (2018): Women's Participation in India: An Analysis of Local Governance.
10. बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट (1957) भारत सरकार।
11. गर्ग, मृदुला, स्त्री और समाजः एक दृष्टिकोण, साहित्य अकादमी।
12. प्रियवंदा, उषा, ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति और संघर्ष, नई दिल्लीः प्रकाशन संस्थान।
13. रेणु फर्णीश्वरनाथ (1954) मैला आँचल, कोलकाताः भारती बुक्स।